# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

**पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)**

दावा संख्या 14 / 13 दायरा दिनांक 21.03.2013

कसुमल पत्नि सरवनकुमार आयु 35 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 वादी

बनाम

1–श्रीलाल पुत्र रतनलाल आयु 65 वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम कलोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

2–कैलाश पुत्र श्रीलाल आयु 40 वर्ष जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

3–धनराज पुत्र श्रीलाल आयु 35 वर्ष जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

4–विजयसिंह पुत्र श्रीलाल आयु 40 वर्ष जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

5–खडकसिंह पुत्र झण्डे आयु 55 वर्ष जाति अहीर निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

6–लालसिंह पुत्र झण्डे आयु 50 वर्ष जाति अहीर निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

7–शंकर पुत्र माना आयु 60 वर्ष जाति अहीर निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

8–पर्वतसिंह पुत्र माना आयु 45 वर्ष जाति अहीर निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

9–धर्म पुत्र पर्वतसिंह आयु 25 वर्ष जाति अहीर निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

10–हटीलाकुमार पुत्र चिन्टू आयु 60 जाति कुम्हार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

11–जगन्नाथ पुत्र बलुआ आयु 65 वर्ष जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

12–सुरेश पुत्र गोरे आयु 35 वर्ष जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

13–रेबुदी वेवा बनवारी आयु 40 वर्ष जाति सहरिया निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

14–गिरवरसिंह पुत्र माना आयु 55 वर्ष जाति अहीर निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:51:29 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] 183 / 188 आर.टी.एक्ट

**निर्णय–दि[illegible] 14.05.2025**

उपस्थित–

वादी की ओर से – श्री प्रकाशचन्द ना[illegible] एडवोकेट

प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 व 7 की ओर से – एकपक्षीय

प्रतिवादी क्रम 1,6,8 ता 14 की ओर से – No Instruction plead दिनांक 19.05.2022

14.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कलोनी पटवार क्षेत्र मुंडियर तहसील शाहावाद में आराजी ख0नं0 267 रकबा 12.12 बीघा वादी के खाते तथा कब्जे काश्त की स्थित है, जिसे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रतिवादीगण ताकतवर धनाढ्य तथा प्रभावशाली हैं जिन्होने जबरन ताकत के बल पर विगत 3 वर्ष से विवादित आराजी लगभग 6 बीघा पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल कर दिया है। वादी ने कब्जा छोडने को कहा तो प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने को आमादा होते हैं। दिनांक 20.02.2013 को कब्जा छोडने को कहा तो प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने आमादा हुये तथा जान से मारने की धमकी दी और कब्जा छोडने से स्पष्ट मना कर दिया। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य अवैधानिक मनमाना होकर अतिचारी की श्रेणी में आता है। इस कारण वादी अपनी विवादित आराजी पर से प्रतिवादीगण के नाजायज कब्जे को हटवाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने की तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है, आदि।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीकम 2 ता 5 व 7 के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादीकम 1,6,8 ता 14 की ओर से जर्ये वकील जबाव पेश कर दावे की मदों को अस्वीकार करते हुये कथन किया गया कि वादी की भूमि से प्रतिवादीगण का का कोई सरोकार नहीं है प्रतिवादीगण के विरूद्व झूठा दावा पेश किया है। वादी के खर्चे पर मौके की जांच की जावे तथा वादी का दावा मिथ्या प्रमाणित होने पर वादी के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावे। वादी ने 2 बार पैमायश करा ली है। वादी प्रतिवादीगण के खाते की भूमि पर काबिज हैं उक्त भूमि को हडपने व प्रतिवादीगण गरीब व्यक्तियों को तंग करने के उद्वेश्य से मिथ्या कार्यवाही पेश करता है। बाद में दिनांक 19.05.2022 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा No Instruction plead जाहिर करते हुये पैरवी से इनकार कर दिया गया। वादी की ओर से दिनांक 08.07.2024 को साक्ष्य शपथपत्र पेश कर दावे के तथ्यों को पुष्ट किया गया।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया। दावे के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम कलोनी तहसील शाहाबाद सम्वत 2067–70 खाता संख्या 43 से प्रमाणित है कि विवादित आराजी ख0नं0 267 रकबा 12.12 बीघा वादी के खातेदारी की है, जिस पर अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जा करने का प्रतिवादीगण को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी की विवादित आराजी ख0नं0 267 रकबा 12.12 बीघा का सीमाज्ञान किया जावे, यदि प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को लिखा जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.05.2025 को सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:51:29 IST
Reason: SelfAttested

14.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद